**संख्या- 369 /2024/ 3282 /चार-2024-1739745**

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

**संस्कृति अनुभाग**: **लखनऊ: दिनांक: 06 नवम्बर, 2024**

विषय:- जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 16 से 18 नवम्बर, 2024 की अवधि में महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की 200वी जयन्ती के अवसर पर विराट आर्य महाकुम्भ/ स्मरणोत्सव के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2899/सं0नि0-15(58)/2023-24, दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 16 से 18 नवम्बर, 2024 की अवधि में महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की 200वी जयन्ती के अवसर पर विराट आर्य महाकुम्भ/ स्मरणोत्सव के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2023 के अनुसार महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की 200वीं जयन्ती का स्मरणोत्सव मनाये जाने का निर्णय लेते हुए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में संस्कृति अनुभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-4147/चार-2023, दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 द्वारा महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती की 200वीं जयन्ती का स्मरणोत्सव मनाये जाने के लिए प्रदेश स्तर पर मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 16 से 18 नवम्बर, 2024 की अवधि में महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की 200वी जयन्ती के अवसर पर विराट आर्य महाकुम्भ/ स्मरणोत्सव के आयोजन हेतु रू0 75.00 लाख (रूपये पिचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2023 तथा संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(3) स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(7) स्वीकृत धनराशि आहरित कर जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, फिरोजाबाद को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(8) कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद/ अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद्, फिरोजाबाद।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।